रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1996/वैशाख 17, 1918
No. 92] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1996/VAISAKHA 17, 1918

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 मई, 1996

सं. एस. 16011/5/93-एल. डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, यह विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है कि क्या रेलवे को, जैसा कि रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के दिनांक 14-1-1993 के पत्र संख्या ई (एल. एल.) 92 ए. टी./सी. एन. आर./60 द्वारा अनुरोध किया गया है, ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, द्वारा स्वामित्व में लिए गए अथवा अपने कब्जे में रखे गए भवनों में झाड़ू लगाने, धुलाई करने, डस्टिंग करने और चौकीदारी करने के लिए 1-3-1977 से प्रभावी ठेका श्रम के नियोजन को उत्सादित करने वाली दिनांक 9-12-1976 की अधिसूचना सं. का. आ. 779(ई) के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित है :

2. समिति का संगठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) श्री दामोदर पाण्डेय —सदस्य
भूतपूर्व संसद सदस्य,
सचिव, इंटक, पो. ओ. रामगढ़,
जिला हजारी बाग,
बिहार

(2) श्री नरेन्द्र सिंह कोहली, —सदस्य
अध्यक्ष, केन्द्रीय बिल्डर्स एसोसिएशन,
44/1, रीगल बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110001

(3) श्री पी. एस. नेरवाल, —सहयोजित सदस्य (मतदान अधिकार के बिना)
निदेशक, यातायात वाणिज्य (जी)
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड,
नई दिल्ली-110001

(4) श्री टी. सी. गिरोत्रा, —सदस्य संयोजक
उप मुख्य श्रम आयुक्त (के.)
मुख्य श्रम आयुक्त (के.) का कार्यालय,
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली-110001

विचारार्थ विषय :

"ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 और 31 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करना कि क्या रेलवे को ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, स्वामित्व में रखे गए अथवा अपने कब्जे में रखे गए भवनों में झाड़ू लगाने, सफाई करने, डस्टिंग करने और चौकीदारी करने के लिए दिनांक 1-3-1977 से प्रभावी ठेका श्रम के नियोजन को उत्सादित करने वाली दिनांक 9-12-1976 की अधिसूचना संख्या का. आ. 779 (ई) के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित है।"

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

आर. के. नरूला, सचिव,
केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड/अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 7th May, 1996

No. S—16011/5/93-LW.—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a committee to consider whether there is justification to give exemption to Railways as requested as vide Railway Board, Ministry of Railways letter No. E (LL)92 AT/CNR/60 dated 14-1-1993 from the purview of notification S.O. No. 779(E) dated 9-12-1976 which prohibits employment of contract labour w.e.f. 1-3-1977 for sweeping, cleaning, dusting and watching of buildings owned or occupied by the establishments in respect of which the appropriate government is the Central Government.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—

(1) Shri Damodar Pandey, Ex. Member of Parliament, Secretary, INTUC, P. O.—Ramgarh, Distt.—Hazaribagh, Bihar.	—Member
(2) Shri Narender Singh Kohli, President, Central Builders Association, 44/1, Regal Building, New Delhi-110001.	—Member
(3) Shri P. S. Nerwal, Director Traffic Commercial (G), Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi-110001.	—Co-opted Member (without voting right)
(4) Shri T.C. Girotra, Dy. Chief Labour Commissioner (C), C/o Chief Labour Commissioner (C), Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001.	—Member Convenor

TERMS OF REFERENCE

"To consider whether there is justification to give exemption to Railways from the purview of Notification S.O. No. 779(E) dated 9-12-1976, which prohibits employment of contract labour w.e.f. 1-3-1977 for sweeping, cleaning, dusting and watching of buildings owned or occupied by the establishments in respect of which the appropriate government is the Central Government, keeping in view of the provision of sections 10 & 31 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970".

3. The headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee would submit its report within three months.

R. K. NARULA, Secy.
Central Advisory Contract Labour Board/Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996